

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 1153/2024

अनवान : -

1. मनीराम पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मंगलाराम पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. इन्द्रा पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. गुड्डी उर्फ विद्या पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. विमला पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पैरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 67/8 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो वादी व प्रतिवादीगण को अपने पिता के स्वर्गवास के बाद विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 67/8 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा  अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो वादी व प्रतिवादीगण को अपने पिता के स्वर्गवास के बाद विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 67/8 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 67/8 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण को अपने पिता के स्वर्गवास के बाद विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 24


ॐ

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 67/8 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.2650 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 67/8 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.2650 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 1153/2024

अनवान : -

1. मनीराम पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।

- वादी

### बनाम्

1. जगदीश पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मंगलाराम पुत्र आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. इन्द्रा पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. गुड्डी उर्फ विद्या पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. विमला पुत्री आशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1153 सन 2024 निर्णय दिनांक - 01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 67/8 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि में प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*ai*  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर